रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1981 (पौष 5, 1903)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1981 (PAUSA 5, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . .	787
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1655
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	9
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	1727
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	2679
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3861
भाग II—खंड 3 (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) . .	723
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	470
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	14211
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	643
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	195
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	3543
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	245
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ..	787
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1655
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1727
PART II—SECTION 1.—Acts Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2679
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	3861
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 o Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	723
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	470
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	14211
PATR III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	643
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	195
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3543
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	245
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं. 20012/1/80-हिन्दी-2—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 22 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या 20012/1/80-हिन्दी के अनुक्रम में श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) को गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अशोक कुमार वर्मा
उप सचिव,
एवं
सदस्य-सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

बम्बई, दिनांक 18 सितम्बर 1981

आदेश

सं. एफ. 3/3/80/ए. यू./इ. सी. ए./बाम्बे/कांसेल-20/3369—सर्वश्री अजन्ता कन्फैक्शनरी, हाउस नं. 67, पोस्ट आफिस बदनापुर, ताल्लुका जलना, जिला-औरंगाबाद की नीति पुस्तक परिशिष्ट-5 की क्रम सं. 139 और 304 की मदों जैसे(1) मिथायल आयोडीन शुद्ध किस्म (2) पोटाशियम एमायल एक्सनथेट (3) पोटाशियम मैटाबाई सल्फाइट, एनालर किस्म (4) सोडियम बाई सल्फेट, शुद्ध एवं एनालर किस्म (5) सोडियम आइसो प्रोपिल एक्सनथेट आदि के आयात के लिए 5,00,000/- रुपए के मूल्य का एक लाइसेंस सं. पी./एस./1922394, दिनांक 21-3-1979 इस शर्त के अधीन जारी किया गया था कि आयातित माल लाइसेंसधारी के कारखाने में ही उपयोग में लाया जाएगा।

2. इसके पश्चात, एक कारण बताओ नोटिस सं. 3/3/80/ए. यू./ई. सी. ए./बांम्बे/3106, दिनांक 10-11-80 उनसे यह पूछते हुए जारी किया गया था कि वे 15 दिन के अन्दर इस बात का जवाब दें कि कंडिका 9, उप-कंडिका(ए.) (सी.सी.) के अन्तर्गत उनके नाम में जारी किया गया लाइसेंस इस आधार पर रद्द क्यों न कर दिया जाना चाहिए कि उक्त लाइसेंस मिथ्या निरूपण अथवा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए यह लाइसेंस प्रदान किया गया है उसको पूरा नहीं करेगा।

3. सर्वश्री अजन्ता कनफैक्शनरी, औरंगाबाद ने उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 10-11-80 का न तो कोई उत्तर दिया है और न उस व्यक्तिगत सुनवाई का कोई लाभ उठाया है जो कि उनको उस नोटिस द्वारा प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी समाचार नहीं मिला है। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उनको 24-8-81 को एक नई तारीख दी गई थी देखिए इस कार्यालय का ज्ञापन दिनांक 21-7-81, लेकिन दिनांक 21-7-81 का यह ज्ञापन डाकखाने में मराठी भाषा में इस अभियुक्त के साथ कि "बाहर है" वापस प्राप्त हो गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस मामले में बचाव के लिए उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और अतः उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने इस मामले को ध्यानपूर्वक देख लिया है और इस निर्णय पर पहुंचा है कि उपर्युक्त लाइसेंस उन्होंने मिथ्या निरूपण और धोखा धड़ी से प्राप्त किया है और जिस उद्देश्य के लिए यह लाइसेंस जारी किया गया है उसको पूरा नहीं करेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए अथवा अप्रभावी घोषित कर दिया जाना चाहिए। अतः अधोहस्ताक्षरी, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की कंडिका 9 उप-कंडिका (ए.) (सी.सी) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री अजन्ता कन्फैक्शनरी, हाउस नं. 67, डाकखाना बदनापुर जलना, जिला औरंगाबाद के नाम में 5,00,000/- रुपए के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. पी./एस./1922394, दिनांक 21-3-1979 को एतद द्वारा रद्द करता है।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की कंडिका 10(2) के अन्तर्गत आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली से अपील कर सकते हैं जैसा कि भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, आयात व्यापार नियंत्रण की समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 12/66, दिनांक 10-11-1966 और अन्तिम बार संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 17/66, दिनांक 20-8-76 में निर्दिष्ट किया गया है। 1980-81 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि की हैंड बुक की कंडिका 265 में अपील दायर करने की क्रियाविधि वर्णन की गई है।

बम्बई, दिनांक 23 सितम्बर 1981

आदेश

सं. 1/171/76/एयू/ईएनएफ/3406—सर्वश्री कैमरा वर्क्स प्रा. लि., जनता मशीन टूल्स कम्पाउन्ड, माजीवाड़ा थाने को 15750/-रु. और 15750/-रु. मूल्य के क्रमशः लाइसेंस सं. (1) पी/एस/1407278 और (2) पी/एस/1407279 दोनों का दिनांक 31-12-74 है इन शर्तों के अधीन जारी किए गए थे कि आयातित सामग्री का उपयोग उस अंतिम उत्पाद के—विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारी के कारखाने में किया जाएगा जिसके लिए विषयाधीन लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना सं. 1/171/76/एयू/ई एन एफ/4130, दिनांक 3-11-76 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि पन्द्रह दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन्हें जारी किए गए उक्त लाइसेंस खंड 9, उप-खंड (क) के अनुसार क्यों न रद्द कर दिए जाने चाहिए और वह इस आधार पर कि उक्त लाइसेंस उन्होंने मिथ्या निरूपण द्वारा प्राप्त किए हैं।

3. उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, सर्वश्री कैमरा वर्क्स प्रा. लि., थाने ने अपने पत्र दिनांक 17-11-1976 में एक विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा था और अधोहस्ताक्षरी से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था और इसके लिए उनके प्रतिनिधि को तारीख 25-11-76 प्रदान की गई थी। इस कार्यालय के उप-मुख्य नियंत्रक श्री डी. के. खोसला के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई का अगला अवसर भी उन्हें 15-10-80 को प्रदान किया गया था, जब उनके प्रतिनिधि ने अपना निवेदन उन्हें सौंपा दिनांक 21-10-80 को प्रस्तुत किया। इस कार्यालय के उप-मुख्य नियंत्रक श्री जी. बी. श्रीवास्तव के साथ भी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक और तिथि अर्थात् 12-8-81 भी नियत की गई थी, किन्तु वे उस दिन भी मिलने में असमर्थ रहे।

4. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिवेदन का भलीभांति परीक्षण कर लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त लाइसेंस जो उन्हें पहले प्रदान किए गए थे और जिनके लिए उन्हें फ्लैशगन्स के विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।—उनके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उक्त अनुमोदन उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा रद्द कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में इस कार्यालय के लिए यह आवश्यक है कि उक्त दोनों लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाए।

पूर्व की कंडिका में जो कुछ भी कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं अथवा अन्यथा रूप से अप्रभावकारी कर दिए जाएं। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड 9, उप-खंड (क) के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री कैमरा वर्क्स प्रा. लि. थाने के लिए जारी किए गए (i) 15750/- रु. और (ii) 15750/- रु. के लिए क्रमशः लाइसेंस सं. (1) पी/एस/1407278 और पी/एस/1407279 दोनों का दिनांक 31-12-74 है को एतद् द्वारा रद्द करता है।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को यथासंशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के खंड 10(2) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर एक अपील दाखिल कर सकते हैं जैसाकि समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना सं. 12/66, दिनांक 10-11-66 में और अंतिम संशोधन वाणिज्य मंत्रालय अधिसूचना सं 17/76 दिनांक 20-8-76 में विशिष्टकृत है। अपील दाखिल करने की कियाविधि 1980-81 की आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कियाविधि हैंडबुक की कंडिका 265 में दी गई है।

जी. बी. श्रीवास्तव
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सर्वश्री कैमरा वर्क्स प्रा. लि.
जनता मशीन टूल्स कम्पाउंड,
माजीवाड़ा, थाने।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1981

संकल्प

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

सं. एफ 13-5/80-आई. एन. सी.—भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, सन् 1946 में इसकी स्थापना से ही एक सदस्य है। यूनेस्को के विधान के अनुच्छेद VII में यह अपेक्षित है कि "प्रत्येक सदस्य देश, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों से सम्बद्ध अपने मुख्य निकायों को संगठन के कार्य से सहयोजित करने के लिए, अधिमानतः सरकार और ऐसे निकायों का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करके अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल प्रबंध करेगा" और उसमें आगे यह उल्लेख किया गया है कि "राष्ट्रीय आयोग अथवा राष्ट्रीय सहकारी निकाय, जहां कहीं ये विद्यमान हों, महा-सम्मेलन के लिए अपने-अपने प्रतिनिधि मण्डलों तथा संगठन से संबंधित मामलों में अपनी-अपनी सरकारों के संबंध में एक सलाहकार की हैसियत से कार्य करेंगे तथा इससे संबंधित सभी मामलों में सम्पर्क एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे"। तदनुसार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 मार्च, 1949 के संकल्प संख्या एफ 84-92/48-ए.। द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए एक अन्तरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सन् 1949 में गठन किया गया था। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 16 अक्तूबर, 1951 के संकल्प संख्या एफ 134-27/50-ए.5 के जरिये सन् 1951 में एक स्थायी आयोग की स्थापना की गई थी।

2. यूनेस्को कार्यक्रम के क्षेत्र और विषयवस्तु में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए, समय-समय पर भारतीय राष्ट्रीय आयोग के विधान का पुनरीक्षण करने की पद्धति रही है। यह आयोग भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ 13-1/52-ए. 5 दिनांक 31 जुलाई, 1952, संख्या एफ 25-15/54 ए.5 दिनांक 3 दिसम्बर, 1954, संख्या एफ. 21-1/61-यू. यू. (आई. एन. सी.) दिनांक 19 जुलाई, 1961, संख्या एफ 39-1/66 आई. एन. सी. दिनांक 7 अक्तूबर, 1969 तथा संख्या एफ. 13-4/73-आई. एन. सी. दिनांक 2 सितम्बर, 1978 द्वारा पुनर्गठित किया गया था। सन् 1978 में महासम्मेलन द्वारा अपने 20वें सत्र में अपनाये गये यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के घोषणा-पत्र के उपबंधों तथा राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका और कार्यों से संबंधित बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब और पुनरीक्षण किया

गया है। अब यह निर्णय किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग का संशोधित विधान निम्नलिखित होना चाहिए :

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का विधान

1. नाम और स्तर : (क) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग होगा, जिसे इसके बाद "आयोग" कहा जायेगा।

(ख) यह आयोग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध होगा, जो इसके कार्य-कलापों के लिए सचिवालयीय सेवा और धन उपलब्ध करेगा।

2. कार्य: आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) भारत के गणराज्य के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों और प्रयोजनों की जानकारी बढ़ाना;

(ख) शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की प्रोन्नति के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और भारत सरकार के बीच एक संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ग) सरकारी विभागों और यूनेस्को के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित सेवाओं, संगठनों और संस्थाओं के साथ सहयोग करना;

(घ) यूनेस्को के कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में राष्ट्रीय, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहित करना, ताकि यूनेस्को के लिए आवश्यक सभी बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा प्रशासनिक सहायता प्राप्त की जा सके;

(ङ) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के क्षेत्र में क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संयुक्त रूप से कार्यक्रम तैयार करके और उनका कार्यान्वयन करके एशिया और प्रशान्त के राष्ट्रीय आयोगों और यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रों के साथ सहयोग करना;

(च) यूनेस्को के उद्देश्यों, कार्यक्रम और कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करना तथा उनके बारे में जन-रुचि उत्पन्न करने के लिये प्रयास करना; और

(छ) यूनेस्को से सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को सलाह देना।

3. पदाधिकारी: (क) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री, आयोग के अध्यक्ष होंगे। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयोग प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगा।

(ख) भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग के सचिव, आयोग के महासचिव होंगे और वह आयोग के कार्य के सर्वोपरि प्रभारी होंगे।

(ग) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय का एक अधिकारी, जो शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्री द्वारा नामजद किया जाएगा, आयोग का सचिव होगा। सचिव इसकी बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और आयोग के मामलों में सम्बन्धित रोज-मर्रा के कार्य की देखभाल करेगा।

4. सदस्यता: (क) आयोग की सदस्यता में पांच उप-आयोगों के सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्, (1) शिक्षा; (2) प्राकृतिक विज्ञान; (3) समाज विज्ञान; (4) संस्कृति; और (5) संचार सम्बन्धी उप-आयोग। आयोग की सदस्यता दो प्रकार की होगी : (1) व्यक्तिगत; और (2) संस्थागत।

(ख) व्यक्तिगत सदस्यों की नामजदगी अध्यक्ष द्वारा, विख्यात शिक्षाविदों/विख्यात वैज्ञानिकों/समाज विज्ञान, मानविकी और संस्कृति के क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों/संचार के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से उनकी व्यक्तिगत हैसियत में की जाएगी। सदस्य, चार वर्ष की अवधि के लिए अपने पदों पर रहेंगे। तथापि यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में होगा कि वह आयोग को चार वर्ष से पहले भंग कर दे और उसका पुनर्गठन करे अथवा चार वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आयोग को पुनर्गठित किये जाने तक अलग-अलग सदस्यों की अवधि बढ़ा दे।

(ग) मृत्यु, लम्बी बीमारी, त्याग-पत्र अथवा अन्य कारण से हुई अलग-अलग सदस्यों की रिक्तियों को केवल बकाया अवधि के लिए ही भरा जायेगा।

(घ) संस्थागत सदस्यों में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी तथा संस्कृति और संचार से सम्बद्ध अथवा इनके लिए कार्य करने वाले सम्बन्धित सरकारी विभाग, महत्वपूर्ण सांविधिक और स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन तथा राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे, जिन्हें आयोग की सदस्यता प्रदान की गई है। वे अपने पद पर चार वर्ष तक रहेंगे, जब तक कि सरकार द्वारा आयोग की चार वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग न कर दिया जाये अथवा इसका पुनर्गठन न कर दिया जाए या आयोग का पुनर्गठन होने तक उनका कार्यकाल न बढ़ा दिया जाए।

(ङ) प्रत्येक संस्थागत सदस्य को आयोग अथवा उप-आयोग जैसी भी स्थिति हो, की बैठकों में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। ऐसा प्रतिनिधि चर्चाओं में भाग लेगा तथा उसे वोट देने का भी अधिकार होगा।

(च) अध्यक्ष, किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, आयोग में अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने के लिए अथवा आयोग या इसकी समितियों की किसी बैठक के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के वास्ते निर्देश दे सकता है।

(छ) प्रत्येक उप-आयोग अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिवेदक (रैप्पोर्टियर) चुनेगा, जिसकी कार्यावधि एक वर्ष होगी।

5. संचालन समिति : (क) आयोग के कार्यों के संचालन के लिए तथा आयोग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक संचालन समिति होगी, जिसकी अपेक्षानुसार बैठकें होंगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) आयोग का अध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) आयोग का महासचिव, जो समिति का उपाध्यक्ष होगा।

(3) यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का भारतीय सदस्य, यदि कोई हो।

(4) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि।

(5) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि।

(6) संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि।

(7) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(8) विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(9) शिक्षा सलाहकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय।

(10) से (13) चारों उप-आयोगों के अध्यक्ष।

(14) आयोग का सचिव, जो समिति का पदेन-सचिव होगा।

(ङ) अध्यक्ष किसी भी समय आवश्यक समझे जाने पर संचालन समिति में अतिरिक्त सदस्य किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सहयोजित कर सकता है।

(ग) अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में समिति, प्रत्येक बैठक के लिए अपना अलग अध्यक्ष चुनेगी।

6. समितियां : अध्यक्ष, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह आवश्यक समझे, आयोग की समितियां भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी समितियों के गठन, विचारार्थ विषयों, कार्यकाल तथा अन्य ब्यौरे अध्यक्ष द्वारा हर मामले में अलग-अलग निर्धारित किए जायेंगे।

7. बैठकें : (क) प्रत्येक उप-आयोग की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी।

(ख) आयोग की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी।

8. यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता : आयोग के उन अलग-अलग सदस्यों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का व्यय यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की निधियों में से वहन किया जायेगा, जो किसी सरकारी मंत्रालय/विभाग/अर्ध-सरकारी संगठन/भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रायोजित अथवा स्थापित स्वायत्त संगठन में कार्य नहीं कर रहे हैं। अन्य सभी संस्थागत सदस्यों और अलग-अलग सदस्यों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते से संबंधित व्यय उसी मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन किया जायेगा, जिससे वे सम्बद्ध हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सभी संस्थागत और अलग-अलग सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, योजना आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय आदि को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में जन-साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाय।

अन्ना आर. मल्होत्रा, सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1981

सं. 1-41/80-सी. एस. डब्ल्यू. बी.—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1-41/80-सी.एस.डब्ल्यू.बी. दिनांक 20 अगस्त 1981 के आंशिक आशोधन में भारत सरकार, श्रीमती हिरण्य लता भुयान, उध्यक्षा, असम राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, को असम राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, श्री जे. एल. बैजल, अपर सचिव एवं आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में और श्रीमती निर्मला बुच के स्थान पर समाज कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एम. एस. दयाल को उस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए:—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति-सचिवालय।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मधु सूदन दयाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd December 1981

RESOLUTION

No. 20012/1/80-Hindi.II.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 20012/1/80-Hindi, dated 22-4-1981, Govt. of India are pleased to nominate Shri Shrikant Verma, M.P. (Rajya Sabha) as a non-official member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Home Affairs.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Members of the Samiti, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

ORDERED also that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. VARMA
Deputy Secretary to the Govt. of India
&
Member-Secretary, Hindi Salahakar Samiti

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

Specimen draft of any order under clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955, as amended

Bombay, the 18th September 1981

ORDER

No. F3/3/80/AU/ECA/BOM/Cancel/20/3369.—A licence No. P/S/1922394 dated 21-3-79 of the value of Rs. 5,00,000 for import of items at S. Nos. 139 and 304 of App. 5 Policy Book such as (i) Methyl iodine pure quality (ii) Potassium amyl xanthate (iii) Potassium metabisulphitem analar quality (iv) Sodium bisulphate, pure and analar quality (v) Sodium iso-proppyl xanthate etc. was issued to M/s. Ajantha Confectionary, House No. 67 At post office Badnapur, Taluka Jalna, Dist. Aurangabad subject to the conditions that the imported material will be utilised in the licence holder's factory.

2. Thereafter, a show cause notice no. 3/3/80/AU/ECA/BOM/3106 dated 10-11-80 was issued asking them to show cause within fifteen days as to why the said licence in their favour should not be cancelled in terms of clause 9, sub-clause (a) (cc) on the grounds that above licence has been obtained by you by mis-representation and fruad and the same will not serve the purpose for which the licence inquestion has been granted.

3. M/s. Ajantha Confectionary, Aurangabad have not replied to the aforesaid show cause notice dated 10-11-80 nor have they availed of personal hearing granted to them therein. No other communication has so far been received from the firm in this regard. A fresh date for personal hearing was given to them on 24-8-81 vide this office memo dated 21-7-81. However, this memo dated 21-7-81 has been received back from post office with remark in Marathi thereon 'out of station'. From this. it has transpired that they have no defence to urge upon in this case and hence charges framed against them in the aforesaid show cause notice are established.

4. The undersigned has carefully examined the case and has come to the conclusion that the aforesaid licence has been obtained by them by mis-representation and fraud and that the same will not serve the purpose for which the licence inquestion has been granted.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) (cc) of the Imports (Control) Order. 1955 hereby cancel the licence no. P/S/1922394 dated 21-3-1979 for Rs. 5.00,000/- issued in favour of M/s. Ajantha Confectionary, House No. 67, At post-Badnapur Taluka Jalna, Dist. Aurangabad.

6. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under clause 10(2) of the Imports (Control) Order 1955, as amended, to the Competent Authority i.e. Additional Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi as specified in Government of India, Ministry of Commerce Import Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification No. 17/66 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1980-81 lays down the procedure for filing an appeal.

Bombay, the 23rd September 1981

ORDER

No. 1/171/76/AU/ENF/3406.—Licence Nos. (i) P/S/1407278 and (2) P/S/1407279 both dated 31-12-74 of the value of Rs. 15750/- and Rs. 15750/- respectively were issued to M/s. Camera Works Pvt. Ltd., Janta Machine Tools Compound, Majiwada Thane subject to the conditions that the imported material will be utilised in the licence holder's factory for manufacture of the end product for which the licence inquestion was granted.

2. Thereafter, a show cause notice No. 1/171/76/AU/ENF/4130 dated 3-11-76 was issued asking them to show cause within fifteen days as to why the said licences in their favour should not be cancelled in terms of clause 9, sub-clause (a) on the grounds that the said licences have been obtained by them by mis-representation.

3. In response to aforesaid show cause notice, M/s. Camera Works Pvt. Ltd., Thane had, by their letter dated 17-11-1976 furnished a detailed explanation and had also asked for personal hearing with the undersigned which was allowed to their representative on 25-11-76. Another opportunity of personal hearing was also granted to them before Shri D. K. Khosla, Dy. Chief of this office on 15-10-80, when their representative handed over their submission vide their letter dated 21-10-80. A further dated i.e. 12-8-81 was also fixed for personal hearing with Shri G. B. Srivastava, Dy. Chief of this office but they failed to avail of the same.

4. The undersigned has carefully examined the said representation and has come to the conclusion that the said licences, which were issued to the firm earlier for the period for which the approval given to the firm for their manufacturing activities of flash guns could not be allowed to stand, as the said approval had been cancelled by the Dy. Chief Controller of Imports and Exports. In other words it is necessary for this office to cancel the said two licences.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercis of the powers vested in him under clause 9 sub-clause (a) of the Imports Control Order, 1955 hereby cancel the licences no. (1) P/S/1407278 and P/S/1407279 both dated 31-12-74 for (i) Rs. 15750/- and (ii) Rs. 15750/- issued in favour of M/s. Camera Works Pvt. Ltd., Thane.

6. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under clause 10(2) of the Imports (Control) Order, 1955, as amended, to the Competent Authority i.e. Additional Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi, as specified in Government of India, Ministry of Commerce Import Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notificatoin No. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1980-81 lays down the procedure for filing an appeal.

G. B. SRIVASTAVA
Dy. Chief Controller of Imports & Exports

To,
M/s. Camera Works Pvt. Ltd.,
Janta Machine Tools Compound,
Majiwada, Thane.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO

New Delhi, the 24th November 1981

RESOLUTION

No. F.13-5/80-INC.—India has been a member of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a Specialized Agency of the United Nations, since its inception in 1946. Article VII of the Constitution of UNESCO requires that "each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for purposes of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, preferably by the formation of a National Commission broadly representative of the Government and such bodies" and further defines that 'National Commissions or National Co-operating bodies, where they exist, shall act in an advisory capacity to their respective delegations to the General Conference and to their Governments in matters relating to the Organisation and shall function as agencies of liaison in all matters of interest to it". Accordingly, an interim Indian National Commission for Co-operation with UNESCO was set up in 1949 by the Government of India, Ministry of Education, Resolution No. F.84-92/48-A.I. dated the 26th March,

1949. A permanent Commission was established in 1951 through the Government of India, Ministry of Education, Resolution No. F. 134-27/50-A.5, dated the 16th October 1951.

2. In view of the rapid expansion in the scope and content of UNESCO's programme, it has been the practice to review the Continuation of the Indian National Commission from time to time. The Commission was reconstituted under Government Resolution No. F.13-1/52-A.5, dated the 31st July, 1952, No. F.25-15/54-A.5, dated the 3rd December 1954, F.21-1/61-UU (INC), dated the 19th July 1961, No. F.39-1/66-INC, dated the 7th October 1969 and No. F.13-4/73-INC, dated the 2nd September 1974. A further review has now been made in the light of the provisions of the Charter of National Commissions for UNESCO which was adopted by the General Conference at its 20th Session in 1978, and subsequent developments concerning the role and functions of National Commissions. It has now been decided that the revised constitution of the Indian National Commission should be as indicated below :

CONSTITUTION OF THE

INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR CO-OPERATION WITH UNESCO

I. *Name and Status* : (a) There shall be an INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO, hereinafter called the "Commission".

(b) The Commission shall be attached to the Department of Education in the Ministry of Education and Culture, which shall provide its secretariat and funds for its activities.

II. *Functions* : The functions of the Commission shall be :

(a) to promote understanding of the objects and purposes of UNESCO among the people of the Republic of India;

(b) to serve as a liaison agency between the Government of India and the institutions concerned with the working for the advancement of education, science and culture;

(c) to co-operate with the Government departments and with services, organizations and institutions concerned with questions within UNESCO's competence;

(d) to encourage participation of national, governmental and non-governmental institutions and various individuals in the formulation and execution of UNESCO's programmes so as to secure for UNESCO all the Intellectual, scientific, artistic or administrative assistance that it may require;

(e) to collaborate with the National Commissions of Asia and the Pacific and with UNESCO's Regional Offices and centres in fostering regional, sub-regional and bilateral co-operation in education, the sciences culture and information, particularly through the joint formulation and execution of programmes;

(f) to disseminate information on the objectives, programme and activities of UNESCO and endeavour to arouse public interest in them; and

(g) to advise the Government of India on matters relating to UNESCO.

III. *Office-bearers* : (a) The Minister of Education and Social Welfare shall be the President of the Commission. He/She shall preside over the meetings of the Commission. In the absence of the President, the Commission shall elect a Chairman from among the members present to preside over each meeting.

(b) The Secretary to the Government of India in the Department of Education, Ministry of Education and Culture, shall be the Secretary-General of the Commission and shall remain in over-all charge of the work of the Commission.

(c) An officer of the Ministry of Education and Culture, to be nominated by the Minister of Education and Social Welfare shall be the Secretary of the Commission. The Secretary shall prepare the agenda for its meetings are attend to the day-to-day work connected with the affairs of the Commission.

IV. *Membership* : (a) The membership of the Commission shall consist of the members of five Sub-Commissions, namely, Sub-Commission for (i) Education (ii) Natural Sciences; (iii) Social Sceinces (iv) Culture and (v) Communication. The membership of the Commission shall be of two categories : (1) Individual; and (2) Institutional.

(b) Individual members shall be nominated by the President in their personal capacity from among eminent educationists/eminent scientists/persons distinguished in the fields of Social Sciences, Humanities and Culture/persons distinguished in the field of Communication. Members shall hold office for a term of four years. It shall, however, be open to the Government of India to dissolve and reconstitute the Commission earlier than four years or to extend the term of individual members until the reconstitution of the Commission on the expiry of the four year term.

(c) Vacancies of individual members arising due to the death, continued illness, resignation or otherwise shall be filled for the unexpired portion of the term only.

(d) Institutional members shall comprise the concerned Government Departments, important statutory and autonomous bodies, national professional organisations and national non-governmental organisations concerned with or working for education, natural sciences, social sciences, humanities and culture, and communication, which are admitted to the membership of the Commission. They shall held office for a term of four years, unless the Commission is dissolved or reconstituted by the Government earlier than the completion of the four year term or their term is extended pending reconstitution of the Commission.

(e) Each institutional member shall have the right to send a representative to the meetings of the Commission or the Sub-Commission as the case may be. Such representative shall participate in discussions and shall also have the right to vote.

(f) The President may direct the co-option of additional members to the Commission for any specialised purpose or to invite specialists for any meeting of the Commission or its Committee.

(g) Each Sub-Commission shall elect its own Chairman, Vice-Chairman and Rapporteur who shall hold office for a period of one year.

V. *Steering Committee* : (a) For the management of the affairs of the Commission, and in order to keep a watch over the progress of the projects and programmes of the Commission, there shall be a Steering Committee which shall meet as often as necessary and shall consist of the following members :

(1) President of the Commission who shall be the Chairman of the Committee.

(2) Secretary-General of the Commission who shall be the Vice-Chairman of the Committee.

(3) Indian Member of the Executive Board of UNESCO, if any.

(4) One representative of the Department of Science and Technology.

(5) One representative of the Council of Scientific and Industrial Research.

(6) One representative of the Department of Culture.

(7) One representative of the Ministry of Information and Broadcasting.

(8) One representative of the Ministry of External Affairs.

(9) Educational Adviser, Department of Education, Ministry of Education and Culture.

(10) to (13) Chairman of each of the four Sub-Commissions.

(14) Secretary of the Commission, who shall be *ex-officio* Secretary of the Committee.

(b) The Chairman may co-opt such additional members to the Steering Committee for any specialised purpose as may be considered necessary by him at any time.

(c) The Chairman, or in his absence the Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Committee. In the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the Committee shall elect its own Chairman for each meeting.

VI. *Committees* : The President may also appoint committee of the Commission for such special purposes as he may consider necessary. The Composition, terms of reference, terms of office and other details about such committees shall be prescribed by the President separately in each case.

VII. *Meetings* : (a) Each Sub-Commission shall meet as often as necessary.

(b) The Commission shall meet as often as may be necessary.

VIII. *Travelling Allowance and Daily Allowance* :

The expenditure on the travelling allowance and daily allowance of individual members of the Commission who are not working with any Government Ministry/Department/Quasi-Government Organisation/Autonomous Organisation sponsored or established by any Ministry/Department of the Government of India will be met out of the funds of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO. For all other individual and institutional members, the expenditure on their T.A. and D.A. will be met by the Ministry/Department/Organisation to which they are attached.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all the individual and institutional members of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO, all Ministries and Departments of the Government of India; all the State Governments/Union Territories; Planning Commission, Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat, Prime Minister's Office and President's Secretariat, etc.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(MRS.) ANNA R. MALHOTRA, Secy.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 4th December 1981

RESOLUTIONS

No. 1-41/80-CWB.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1-41/80-CSWB dated 28th August 1981, the Government of India is pleased to nominate Smt. Hiranmya Lata Bhuyan, Chairman, Assam State Social Welfare Advisory Board as a representative of the Assam State, Shri J. S. Baijal, Additional Secretary and Commissioner, Department of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, as the representative of that Ministry and Shri M. S. Dayal, Joint Secretary in the Ministry of Social Welfare as representative of that Ministry vice Smt. Nirmala Buch, Joint Secretary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi
10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. DAYAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981